



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-06092025-265980
CG-DL-W-06092025-265980

साप्ताहिक/WEEKLY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 6—सितम्बर 12, 2025 (भाद्रपद 15, 1947)
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 6—SEPTEMBER 12, 2025 (BHADRA 15, 1947)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ सं.		पृष्ठ सं.
भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं,	397	छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं,	*
भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,	887	भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं),	*
भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,	7	भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश,	*
भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं,	4433	भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,	2851
भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम,	*	भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस,	*
भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ,	*	भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं,	*
भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट,	*	भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं,	1
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं),	*	भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस,	4499
भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को		भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण,	*

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

	Page No.		Page No.
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	397	(other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	887	PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories)	*
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....	7	PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence	*
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	4433	PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	2851
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations.....	*	PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	*
PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations	*	PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills	*	PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories)	*	PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies	4499
PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India		PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1

[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

गृह मंत्रालय
(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 20 अगस्त 2025

संकल्प

सं. 21034/11/2025-राभा(प्रशि)—संसदीय राजभाषा समिति के तीसरे प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के संबंध में राष्ट्रपति के आदेश राजभाषा अधिनियम, 1963 (यथा-संशोधित, 1967) की धारा 4 (4) के अंतर्गत इस विभाग के दिनांक 4 नवंबर 1991 के संकल्प संख्या 13015/1/91-राभा (घ) के द्वारा सूचित किए गए थे। उस संकल्प के पैरा 5 के तहत दिए गए आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 04 जून 2015 के संकल्प संख्या 21034/8/2015-राभा(प्रशि) के तहत ये आदेश दिया गया था कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् “क”, “ख” एवं “ग”) में स्थित कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2025 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

2. उक्त संकल्प में पुनः आंशिक संशोधन करते हुए राष्ट्रपति ने अब यह आदेश दिया है कि सभी क्षेत्रों (अर्थात् “क”, “ख” एवं “ग”) में स्थित केंद्रीय सरकार के कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी का प्रशिक्षण वर्ष 2035 के अंत तक पूरा कर लिया जाए।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभागों, सभी राज्य सरकारों तथा सभी संघ शासित क्षेत्रों, राष्ट्रपति सचिवालय, उप राष्ट्रपति सचिवालय, लोक सभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, मंत्रीमंडल सचिवालय, प्रधान मंत्री कार्यालय, संघ लोक सेवा आयोग, नीति आयोग, भारत के नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक, भारत के उच्चतम न्यायालय के महारजिस्ट्रार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, भारत का विधि आयोग तथा बार काउंसिल आफ इंडिया को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सार्वजनिक सूचना के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

डॉ. मीनाक्षी जौली
संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 1 सितंबर 2025

संकल्प

विषय: वस्त्र मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन।

सं. ई-11011/1/2024-हिंदी—वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने दिनांक 23 जून, 2023 के संकल्प सं. ई-11011/1/2019-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए, मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है। समिति का गठन, कार्य आदि निम्नानुसार होंगे:—

	वस्त्र मंत्री	अध्यक्ष
	वस्त्र राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
	गैर-सरकारी सदस्य	
संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित		
1.	श्री श्रीरंग आप्पा बारणे	सदस्य
2.	श्रीमती संगीता यादव	सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित		
3.	श्री दिनेशभाई मकवाणा, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
4.	श्री शंकर लालवानी, संसद सदस्य (लोक सभा)	सदस्य
5.	श्री नवीन जैन, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
6.	श्री ईरण कडाडी, संसद सदस्य (राज्य सभा)	सदस्य
स्वैच्छिक संस्था अर्थात् हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग द्वारा नामित		
7.	श्री कुन्तक मिश्र	सदस्य
केन्द्रीय सचिवालय हिंदी परिषद द्वारा नामित		
8.	श्री सुरेश तिवारी	सदस्य
वस्त्र मंत्री द्वारा नामित गैर-सरकारी सदस्य		
9.	डॉ. सुरेश प्रसाद राय	सदस्य
10.	श्री धर्मेन्द्र त्रिपाठी	सदस्य
11.	डॉ. पूजा खिल्लन	सदस्य
12.	श्री विनय कुमार	सदस्य
राजभाषा विभाग द्वारा नामित		
13.	सुश्री उज्ज्वल बदवानाचे	सदस्य
14.	डॉ. नितिन दुबे	सदस्य
15.	डॉ. दीप कुमार मित्तल	सदस्य

सरकारी सदस्य

(राजभाषा विभाग):

- | | | |
|-----|---|-------|
| 16. | सचिव, राजभाषा विभाग तथा हिंदी सलाहकार, भारत सरकार | सदस्य |
| 17. | संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग | सदस्य |

(वस्त्र मंत्रालय)

- | | | |
|-----|---|-------|
| 18. | सचिव (वस्त्र) | सदस्य |
| 19. | अपर सचिव | सदस्य |
| 20. | अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार | सदस्य |
| 21. | विकास आयुक्त (हथकरघा), नई दिल्ली | सदस्य |
| 22. | विकास आयुक्त (हस्तशिल्प), नई दिल्ली | सदस्य |
| 23. | वस्त्र आयुक्त, मुंबई | सदस्य |
| 24. | पटसन आयुक्त, कोलकाता | सदस्य |
| 25. | महानिदेशक, राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान, नई दिल्ली | सदस्य |
| 26. | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय कपास निगम, मुंबई | सदस्य |
| 27. | सदस्य सचिव, केन्द्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु | सदस्य |
| 28. | प्रबंध निदेशक, सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन, नई दिल्ली | सदस्य |
| 29. | अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, भारतीय पटसन निगम, कोलकाता | सदस्य |
| 30. | सचिव, वस्त्र समिति, मुंबई | सदस्य |

31.	प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय हथकरघा विकास निगम, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश	सदस्य
32.	सचिव, राष्ट्रीय पटसन बोर्ड, कोलकाता	सदस्य
33.	निदेशक, सरदार वल्लभभाई पटेल इंटरनेशनल स्कूल ऑफ टेक्स्टाइल्स एंड मैनेजमेंट, कोयंबतूर	सदस्य
34.	कार्यकारी निदेशक, केन्द्रीय ऊन विकास बोर्ड, जोधपुर	सदस्य
35.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली	सदस्य
36.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन, कानपुर	सदस्य
37.	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, हस्तशिल्प एवं हथकरघा निर्यात निगम, नोएडा	सदस्य
38.	उप महानिदेशक (प्रभारी राजभाषा), वस्त्र मंत्रालय	(सदस्य-सचिव)

(II) समिति का कार्य क्षेत्र:

इस समिति का कार्य संविधान में राजभाषा संबंधी प्रावधानों, राजभाषा अधिनियम व नियम के उपबंधों, केन्द्रीय हिंदी समिति (माननीय प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में) के निर्णयों तथा गृह मंत्रालय (राजभाषा विभाग) द्वारा जारी निदेशों, अनुदेशों के कार्यान्वयन और मंत्रालय के कामकाज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ाने के संबंध में सलाह देना होगा।

(III) कार्यकाल:

- (1) समिति का कार्यकाल इसके गठन की तारीख से सामान्यतः तीन वर्षों का होगा।
- (2) समिति के कार्यकाल के दौरान, यदि किसी व्यक्ति को समिति का सदस्य नामित किया जाता है तो वह उस समिति के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।
- (3) विशेष परिस्थितियों में मंत्रालय समिति का कार्यकाल घटा या बढ़ा सकता है।
- (4) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- (5) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने पर समिति के सदस्य बने रहेंगे।

(IV) सामान्य:

- (1) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा लेकिन समिति अपनी बैठकें किसी अन्य नगर में भी कर सकती है।
- (2) गैर-सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता, राजभाषा विभाग द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित दिनांक 22 जनवरी, 1987 को जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 11/22034/04/86-रा.भा.(ए-2) में निहित दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदान किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस अधिसूचना की एक-एक प्रति सभी राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोकसभा सचिवालय, राज्यसभा सचिवालय, नीति आयोग, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, केन्द्रीय राजस्व के महालेखाकार तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों व विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेशित किया जाता है कि अधिसूचना को जन साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए और मंत्रालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया जाए।

अखिलेश कुमार
उप महानिदेशक

शिक्षा मंत्रालय
(स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अगस्त 2025

सं. 1.22/2024-पीएमपी.6—केन्द्रीय सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग की अधिसूचना सं. फा.11-3/2016-स्कूल.3 तारीख 15 नवंबर, 2021 को अधिकांत करते हुए, उच्चतर शिक्षा संस्थाओं में छात्रों के प्रवेश तथा केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्रों में नियोजन के प्रयोजन के लिए, माध्यमिक या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परीक्षा द्वारा प्रदान किए जाने वाले माध्यमिक (10वीं

कक्षा) या उच्चतर माध्यमिक (12वीं कक्षा) को समतुल्यता प्रदान करने के उत्तरदायित्व से राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (एनसीईआरटी) को न्यस्त करती है।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

3. यह केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों और निम्नलिखित द्वारा स्थापित प्राइवेट भारतीय स्कूल बोर्डों को लागू होगी—

(क) संसद या राज्य विधान मंडल का अधिनियम; या

(ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों के कार्यपालिक आदेश या

(ग) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या कानूनी निकायों या मान्यताप्राप्त संस्थाओं जिन्हें ऐसा करने के लिए आदेश दिया गया है।

4. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, राष्ट्रीय निर्धारण केन्द्र अर्थात् निष्पादन मूल्यांकन सांक्यवादी विकास के लिए ज्ञान का पुनर्विलोकन और विश्लेषण (परख) जिसे निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के पैरा 4.41 के अनुसार स्थापित किया गया है, के माध्यम से, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करेगा अर्थात्:—

(क) समतुल्यता अवधारण प्रक्रिया पर विचारण करते समय राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् यह सुनिश्चित करेगी कि

(i) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार, 2009 (2009 का 35) का अनुपालन;

(ii) राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के साथ संरेखण; और

(iii) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 तथा इसके अधीन जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों का पालन;

(ख) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग शिक्षा मंत्रालय के साथ परामर्श करके मानक प्रचालन प्रक्रिया तैयार करेगी।

5. (क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् इस कार्य को करने के लिए अपनी क्षमता का समुचित रूप से वर्धन करेगी।

(ख) मानक प्रचालन प्रक्रिया एसओपी, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग और उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय के परामर्श से भारत में सभी स्कूल बोर्डों के लिए इस प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार किया जाएगा।

(ग) मानक प्रचालन प्रक्रिया अन्य बातों के साथ-साथ, यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदक स्कूल शिक्षा बोर्ड तत्समय प्रवृत्त निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35), राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा (एनसीएफ) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 2020 का पालन कर रहा है।

(घ) मानक प्रचालन प्रक्रिया यह भी सुनिश्चित करेगी कि बोर्ड से सहबद्ध स्कूलों में अध्यापक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) द्वारा यथा अधिकथित अर्हताएं रखते हैं।

(ङ.) मानक प्रचालन प्रक्रिया यह सुनिश्चित करेगी कि सम्यक् तत्परता प्रक्रिया कठोर है और एनसीएफ, स्पष्ट स्कीम या परीक्षाओं की उपविधियों और सहबद्धता पर आधारित हैं और ऐसी समतुल्यता प्रदान करते समय स्कूल बोर्डों को लागू सभी अन्य विधियों, नियमों, विनियमों या प्रक्रियाओं का पालन करती है।

(च) एक बारगी उपाय के रूप में, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी), अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् (एआईसीटीई), केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई), राष्ट्रीय मुक्त स्कूल संस्थान (एनआईओएस) से प्रतिनिधियों और मानक प्रचालन प्रक्रिया जिसकी समीक्षा इसके कार्यान्वयन से पूर्व स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग तथा उच्चतर शिक्षा विभाग, शिक्षा मंत्रालय द्वारा की जाएगी, का प्रारूपण करने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा ठीक समझे गए सदस्यों से मिलकर बनी विशेषज्ञ समिति गठित करेगी।

6. राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद् द्वारा प्रदान की गई समतुल्यता पर स्वतः भारत में बोर्डों के बीच परस्पर समानता के रूप में विचार किया जाएगा जो निर्बाध अंतर-स्कूल शिक्षा बोर्ड स्थानांतरण को सुकर बनाएगी और ऐसी समतुल्यता उच्चतर शिक्षा तथा नियोजन के प्रयोजन के लिए अखिल भारतीय स्तर पर विधिमान्य होगी।

शिव दास सरकार
निदेशक

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 28 अगस्त 2025

संकल्प

सं. रा.भा. 11011/01/2015—राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के दिनांक 04.05.1989 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20015/45/87-रा.भा. (क-2) के अनुसरण में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के दिनांक 28.08.2025 के संकल्प संख्या रा.भा.11011/1/2015 द्वारा हिंदी सलाहकार समिति के पुनर्गठन का निर्णय लिया गया है। पुनर्गठित समिति की संरचना और कार्य इस प्रकार होंगे:—

I.	महिला एवं बाल विकास मंत्री	अध्यक्ष
II.	महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
III.	गैर-सरकारी सदस्य	
	संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित चार (04) सदस्य	
1.	श्रीमती कमलेश जांगड़े, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: 241, मसानिया काला, जांजगीर-चांपा सक्ती, छत्तीसगढ़-495689, वर्तमान पता: 215, वेस्टर्न कोर्ट, जनपथ नई दिल्ली-01 मोबाइल नं. : 7489443269, 9300671594	सदस्य
2.	श्रीमती मंजू शर्मा, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: 107, यूनिक सांघी अपार्टमेंट, महावीर नगर दुर्गापुरा जयपुर, राजस्थान-302018 वर्तमान पता: 101-103, साऊथ ऐवन्यू, नई दिल्ली-110001 मोबाइल नं. : 9499100326, 9829394789	सदस्य
3.	श्री राम चन्द्र जांगड़ा संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: वार्ड नं. 6, कठ मण्डी, मेहम, जिला - रोहतक, हरियाणा वर्तमान पता: सी - 504, स्वर्ण जयंती सदन, डा. विशम्भर दास मार्ग, नई दिल्ली-110001 दूरभाष सं. - 011-23310359 मोबाइल नं. : 9416088404, 9416274478	सदस्य
4.	सुश्री इंदु बाला गोस्वामी, संसद सदस्य (राज्य सभा) स्थायी पता: ग्राम- गनखेतर, डाकघर और तहसील- बैजनाथ, जिला - कांगड़ा (हिमाचल प्रदेश)-176125	सदस्य

		वर्तमान पता: केंद्रीय सरकार आवासीय परिसर, टाइप VII, एमपी फ्लैट, फ्लैट सं. ए4, टॉवर सं. ए2, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली- 110002 दूरभाष सं. - 011-23312832 मोबाइल नं. : 9816320602, 7807830602	
IV.	संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित दो (02) सदस्य		
	5.	श्रीमती कृति देवी देववर्मन, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: पैलेस कवर्धा (मोती महल), वार्ड सं.- 9, कवर्धा कबीरधाम, छत्तीसगढ़ - 491995 वर्तमान पता: 06 फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली-110001 मोबाइल नं. : 9863905346, 9589535855 ई-मेल - maharani.kritisingshdebbarma@gmail.com Kriti.singh.debbarama@sansad.nic.in	सदस्य
	6.	श्री विश्वेश्वर हेगडे कागेरी, संसद सदस्य (लोक सभा) स्थायी पता: कागेरी पो; बरूल टिक; सिरसी उत्तर कन्नड़, कर्नाटक - 581403 वर्तमान पता: फ्लैट नं. 401, सरस्वती, डॉ. बी. डी. मार्ग, नई दिल्ली-110001 ई-मेल - kageri250@gmail.com Vishweshwar.kageri@sansad.nic.in	सदस्य
V.	राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य		
	7.	प्रो. राखी उपाध्याय 5/2, हिल व्यू एनक्लेव, किशनपुर कैनाल रोड, राजपुर, देहरादून - 248001, उत्तराखण्ड मोबाइल नं. : 9412409418, 9411190099 ई-मेल: drakhi.418@gmail.com	सदस्य
	8.	डॉ. रमेश सिंह 9/10, बुंद रोड, अलेनगंज, प्रयागराज-211002, मोबाइल नं. : 9415367401 ई-मेल: rs755354@gmail.com	सदस्य
	9.	श्री बी. कंडावेल विजय होम 5/2, चतुर्थ क्रॉस स्ट्रीट, न्यू कॉलोनी, क्रोमपेट, चेन्नई-44 मोबाइल नं. : 9940488488 ई-मेल: kandavelb@gmail.com	सदस्य

VI.	महिला एवं बाल विकास मंत्री द्वारा नामित सदस्य		
10.	श्री महेशभाई भेलुभाई महला लाकडबारी, तहसील बासदा जिला - नवसारी, पिन कोड – 396071 मोबाइल नं. : 9408620256	सदस्य	
11.	श्रीमती माधुरी देशपांडे पता: 732, 9वाँ क्रॉस, विद्यामान्यनगर, आंध्राहल्ली, विश्वनीदम पोस्ट, बेंगलोर-560091 मोबाइल नं. : 8277042765, 9481070245 ई-मेल: Deshpande.madhuri@gmail.com	सदस्य	
12.	श्री धीरेन सरमा पता: भेटापारा, मकान नं. 57 (हतीगांव- भेटापारा रोड, गुवाहाटी - 28 पी.)। बेलतला, पिनकोड- 781028, असम मोबाइल नं. : 9435301654 ई-मेल: khirensarma57@gmail.com	सदस्य	
13.	श्री अजय शर्मा 30-ए, मधुबन कालोनी, राजनगर, जालंधर-144021 मोबाइल नं. : 0904413-34567 ई-मेल: Sahityasilsila@gmail.com Drsharmaajay1@gmail.com	सदस्य	
VII.	स्वयं सेवी राजभाषा संगठनों के प्रतिनिधि		
	केंद्रीय सचिवालय हिंदी परिषद के प्रतिनिधि		
14.	डा. स्वीटी यादव निवास का पता: फ्लैट नं. ई-9, टावर – 14, टाइप-3, ईस्ट किडवई नगर, नई दिल्ली-110023 कार्यालय का पता: डॉ. स्वीटी यादव सहायक निदेशक (राजभाषा) उप क्षेत्रीय कार्यालय कर्मचारी राज्य बीमा निगम गुरुग्राम, (श्रम एवं रोजगार मंत्रालय) मोबाइल नं. : 7838327845/9868023185 ई-मेल: sweetyyadavjnu@gmail.com	सदस्य	
	राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, वर्धा (महाराष्ट्र) के प्रतिनिधि		
15.	डा. रत्ना देवचंद चौधरी 28, साई, गोकुलधाम, नवभारत अध्यापक महाविद्यालय के समीप, रामनगर,	सदस्य	

		वर्धा (महाराष्ट्र) - 442001 मोबाइल नं. : 9096193665 ई-मेल: ratnanagare72@gmail.com	
VIII.	मंत्रालय से सरकारी सदस्य (पदेन)		
	16.	सचिव महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
	17.	सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय	सदस्य
	18.	अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
	19.	अपर सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
	20.	संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
	21.	संयुक्त सचिव, (डब्ल्यूडब्ल्यू) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
	22.	संयुक्त सचिव, (आईसीडीएस) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
	23.	संयुक्त सचिव, (बाल कल्याण) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
	24.	संयुक्त सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य
	25.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय महिला आयोग	सदस्य
	26.	अध्यक्ष, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग	सदस्य
	27.	निदेशक, सावित्रीबाई फुले राष्ट्रीय महिला एवं बाल विकास संस्थान	सदस्य
	28.	सीईओ, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन एजेंसी	सदस्य
	29.	अपर सचिव एवं प्रभारी राजभाषा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय	सदस्य सचिव

समिति के कार्य

यह समिति महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के कामकाज में राजभाषा के प्रभावी कार्यान्वयन और इससे संबद्ध मामलों पर परामर्श देगी।

समिति का कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से गठन की तारीख से निम्नलिखित बातों के अधीन 3 वर्ष तक रहेगा :

- जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर समिति के सदस्य नहीं रहेंगे।
- समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य रहेंगे।
- यदि किसी सदस्य की मृत्यु हो जाने के कारण अथवा समिति की सदस्यता से त्याग पत्र देने के कारण स्थान रिक्त होता है, तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य 3 वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य होगा।

सामान्य

समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा, किंतु समिति अपनी बैठक आवश्यकता पड़ने पर दिल्ली से बाहर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

यात्रा तथा अन्य भत्ते

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 03 फरवरी, 2006 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/04/2005-रा.भा. (नीति-2) में निहित दिशानिर्देश के अनुरूप और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों एवं नियमों के अनुसार, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक-एक प्रति समिति के सभी सदस्यों; राष्ट्रपति सचिवालय; उप राष्ट्रपति सचिवालय; प्रधानमंत्री कार्यालय; मंत्रिमंडल सचिवालय; संसदीय कार्य मंत्रालय; लोक सभा सचिवालय; राज्य सभा सचिवालय; नीति आयोग; भारत के नियंत्रक एवं

महालेखा परीक्षक; भारत निर्वाचन आयोग; संघ लोक सेवा आयोग; महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के सभी स्वायत्तशासी/सांविधिक निकायों इत्यादि तथा भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

ज्ञानेश भारती
अपर सचिव एवं प्रभारी राजभाषा

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

नई दिल्ली-110001, दिनांक 26 अगस्त 2025

संकल्प

सं. ई-11013/04/2019-हिंदी—सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिनांक 03.12.2021 के संकल्प संख्या ई-11013/04/2019-हिंदी का अधिक्रमण करते हुए, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हिन्दी सलाहकार समिति का निम्न प्रकार से पुनर्गठन करने का निर्णय लिया है:—

I. गठन

- | | |
|--|-----------|
| 1. माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. माननीय सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री | उपाध्यक्ष |

II. सरकारी सदस्य

(क) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

- | | |
|--|--------------|
| 3. सचिव | सदस्य |
| 4. अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार | सदस्य |
| 5. महानिदेशक (सड़क विकास) एवं विशेष सचिव | सदस्य |
| 6. अपर सचिव (राजमार्ग) | सदस्य – सचिव |
| 7. उप सचिव (प्रशासन एवं राजभाषा) | सदस्य |
| 8. उप निदेशक (राजभाषा) | सदस्य |

(ख) राजभाषा विभाग

- | | |
|------------------|-------|
| 9. सचिव | सदस्य |
| 10. संयुक्त सचिव | सदस्य |

(ग) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अधीन आने वाले कार्यालयों के प्रतिनिधि

- | | |
|---|-------|
| 11. अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, द्वारका, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 12. निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग अभियंता अकादमी, नोएडा। | सदस्य |
| 13. महासचिव, भारतीय सड़क कांग्रेस, नई दिल्ली। | सदस्य |
| 14. प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय राजमार्ग अवसंरचना विकास निगम लि., नई दिल्ली। | सदस्य |

III. गैर सरकारी सदस्य

(क) संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

- | | |
|---|-------|
| 15. श्री सतीश कुमार गौतम, संसद सदस्य (लोक सभा)
स्थायी पता- 204, वैष्णो टॉवर, विद्या नगर, राम घाट रोड,
अलीगढ़, उत्तर प्रदेश – 202001
दूरभाष - (0571) 2742425
मोबाइल – 09457762404, 09013869418
ई-मेल – satish.gautam@sansad.nic.in
satishgautambjp@gmail.com | सदस्य |
|---|-------|

वर्तमान पता- 4, विंडसर प्लेस, अशोक रोड, नई दिल्ली - 110001

दूरभाष- (011) 23355404

मोबाइल - 9013869418, 9457762404, 9720048200

16. श्री अरविन्द गणपत सावंत, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

स्थायी पता- 3/87, मीठीबाई विलिंग, आचार्य दोंदे मार्ग,

शिवडी, मुम्बई, महाराष्ट्र- 400015

दूरभाष- (022) 24184488, मोबाइल- 09869004488

ई-मेल - arvind.sawant@sansad.nic.in

arvindsawantg@gmail.com

वर्तमान पता - 15, पंडित पंत मार्ग,

गुरुद्वारा रकाब गंज के पास,

नई दिल्ली-110001

दूरभाष- (011) 23714488, मोबाइल- 09969004488

17. श्री राजेन्द्र गहलोत, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

स्थायी पता - 64 बी, अजीत कॉलोनी, रातानाडा,

जोधपुर, राजस्थान - 342001

ई-मेल - rajendra.gehlot@sansad.nic.in

वर्तमान पता - 9, नार्थ एवेन्यू डुपलैक्स,

नई दिल्ली-110001

दूरभाष- (011) 23094211

18. श्री खीरू महतो, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

स्थायी पता- गांव - केडला, पीएस - मांडु, जिला - रामगढ़,

झारखंड - 825325

ई-मेल - khiru.mahto@sansad.nic.in

वर्तमान पता - फ्लैट सं. ए5, टावर - ए2, डीडीयू मार्ग,

नई दिल्ली-110002

दूरभाष- (011) 23231205, 23231206

(ख) संसदीय राजभाषा समिति के प्रतिनिधि

19. श्री अजीत माधवराव गोपछडे, संसद सदस्य (राज्य सभा) सदस्य

स्थायी पता- अमृतपथ अस्पताल, डॉक्टर लेन,

रेलवे स्टेशन के पास, नांदेड 431601

मोबाइल - 07798484618

ई-मेल - dr.agopchade@sansad.nic.in

वर्तमान पता- ब्रह्मपुत्र, फ्लैट सं. 201, विसंबरदास मार्ग,

संसद परिसर, नई दिल्ली-110001

20. श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह, संसद सदस्य (लोक सभा) सदस्य

स्थायी पता- राजमहल, डाकघर - नरेंद्र नगर, टिहरी, गढ़वाल,

उत्तराखंड - 249175

दूरभाष- (0135) 2747700 मोबाइल- 09811670271

वर्तमान पता- टिहरी, गढ़वाल हाउस, 5, भगवानदास रोड,

नई दिल्ली-110001

दूरभाष- (011) 23782818, 23782816 मोबाइल- 09811670271

ई-मेल mala.laxmi@sansad.nic.in

malarajyalaxmishah@gmail.com

(ग) केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद, नई दिल्ली/अखिल भारतीय स्तर के स्वैच्छिक संगठन आदि के प्रतिनिधि

21. श्री अनुराग खरे, सदस्य
आवासीय पता- बी-4/3 एस. एस. फ्लैट्स, सेक्टर-13, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली-110066

मोबाइल – 9013069977

ई-मेल - hindiparishad116@gmail.com

22. श्री कवडू (बंडू) किसनजी रक्षक, सदस्य
राजभाषा प्रचार समिति, वर्धा,
आवासीय पता- 46, आनंदनगर शिक्षण सोसायटी,
जयताला रोड, नागपुर-440036

मोबाइल – 9657876720

ई-मेल – rashtrabhasha.wardha@gmail.com

(घ) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री द्वारा नामित सदस्य

23. श्री राजेश्वर सिंह, सदस्य
आवासीय पता- टी-2, सीता संकुल अपार्टमेंट,
आकार नगर, काटोल रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) - 440013
मोबाइल- 09373125405

ई-मेल – rajeshwar.singh1234567@gmail.com

24. श्री संजय रमाकांत तिवारी, सदस्य
आवासीय पता – द्वारा, श्री दादाजी धुनिवाले आश्रम,
पेंशन नगर, पुलीस लाईन टाकळी मागे, नागपुर
(महाराष्ट्र) – 440013

मोबाइल - 09860060469, 09112281100

25. डॉ. राजेंद्र वासुदेव मिश्रा (डॉ. राजू मिश्रा), सदस्य
आवासीय पता – 28 अ, न्यू उर्वेला कालनी,
पोस्ट ऑफिस- विवेकानंद नगर, नागपुर – 440015
मोबाइल – 09373215279

ई-मेल – rwmishra@gmail.com

26. श्री दयाशंकर चंद्रशेखर तिवारी, सदस्य
आवासीय पता – 1038, डॉ. शामाप्रसाद मुखर्जी मार्ग,
हंसापुरी, नागपुर, महाराष्ट्र
मोबाइल - 09823293001

(ङ) राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

27. डॉ. उमेश प्रताप वत्स, सदस्य
आवासीय पता – भवन क्रमांक 14, शिवदयाल पुरी,
निकट आइटीआई, यमुनानगर, हरियाणा-135001

28. डॉ. माधुरी यादव, सदस्य
आवासीय पता – सी- 12, रेडियो कॉलोनी,
रेसीडेंसी एरिया, इन्दौर (म.प्र.)-452001
मोबाइल- 9926431404

ई-मेल – madhurishri2727@gmail.com

29. श्री टी.के. बालाजी, सदस्य
आवासीय पता – 75, पेरियार नगर, पोस्ट- तिरुवनैकोविल,
तिरुचिरापल्ली-620005
मोबाइल- 9244222370

ई-मेल – tkbalarss@gmail.com

2. समिति के कार्य

इस समिति का कार्य, भारत के संविधान में राजभाषा के बारे में की गई व्यवस्था, राजभाषा अधिनियम तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों, केंद्रीय हिंदी समिति के निर्णयों तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के कार्यान्वयन की समीक्षा करना तथा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के कामकाज में हिंदी का प्रयोग बढ़ाने के बारे में सलाह देना होगा।

3. समिति का कार्यकाल

इस समिति का कार्यकाल, इसके गठन की तारीख से तीन वर्ष का होगा, जो संसद सदस्य, इस समिति के सदस्य हैं, वे सदन के भंग होने अथवा अपना कार्यकाल समाप्त होने पर या अन्यथा सदन का सदस्य नहीं रहने पर, इस समिति के सदस्य नहीं रहेंगे। इस समिति में कोई स्थान खाली होने पर, यदि किसी व्यक्ति को उसके स्थान पर सदस्य नामित किया गया तो वे शेष अवधि के सदस्य बने रहेंगे। विशेष परिस्थितियों में, इस समिति का कार्यकाल घटाया या बढ़ाया जा सकता है।

4. यात्रा एवं अन्य भत्ते

इस समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए गैर-सरकारी सदस्यों को राजभाषा विभाग के दिनांक 22 जनवरी, 1987 के कार्यालय ज्ञापन सं. II/20034/4/86-रा.भा. (क-2) में निहित दिशानिर्देशों के अनुसार और भारत सरकार द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित निर्धारित दरों और नियमों के अनुसार यात्रा और दैनिक भत्ता दिया जाएगा।

5. इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा। समिति की बैठकें सामान्यतः नई दिल्ली में आयोजित की जाएंगी।

आदेश

यह आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति इस समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों, राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, मंत्रिमंडल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, नीति आयोग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, भारत निर्वाचन आयोग, संसदीय राजभाषा समिति, संघ लोक सेवा आयोग और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को जन-साधारण की जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

विनय कुमार
अपर सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi-110001, the 20th August 2025

RESOLUTION

No. 21034/11/2025-OL(Trg.)—The orders of the President, on the recommendations made by the Committee of Parliament on Official Language in the third part of its report were conveyed vide this Department Resolution No. 13015/1/91-OL(D), dated 4th November 1991 in accordance with Section 4 (4) of the Official Language Act, 1963 (as amended 1967). In partial modification of the orders laid down in para-5 of the said Resolution, it was ordered, vide Resolution No. 21034/8/2015-OL(Trg.) dated 4th June, 2015 that the training in Hindi imparted to the employees of the offices located in all the regions (viz. 'A' 'B' and 'C') would be completed by the end of the year 2025.

2. The President, in further partial modification of the said Resolution, has now ordered that the training in Hindi imparted to the employees of the Central Government offices located in all the regions (viz. 'A' 'B' and 'C') may be completed by the end of the year 2035.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be sent to all Ministries/Departments of the Govt. of India, all State Governments and Union Territories, the President's Secretariat, the Vice President Secretariat, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Cabinet Secretariat, Prime Minister's Office, Union Public Service Commission, Niti Ayog, Comptroller and Auditor General of India, the Registrar General of Supreme Court of India, the University Grants Commission, the Law Commission of India and the Bar Council of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

DR. MEENASHI JOLLY
Joint Secretary

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 1st September 2025

RESOLUTION

Subject: Reconstitution of Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Textiles.

No. E.-11011/1/2024-Hindi—Ministry of Textiles, Government of India has decided to reconstitute Hindi Salahakar Samiti of the Ministry of Textiles in supersession of its resolutions No. E-11011/1/2019-Hindi dated 23 June, 2023. Its Composition, Functions etc. will be as under-

Minister of Textiles	Chairman
Minister of State for Textiles	Vice Chairman
Non-Official Members	
Nominated by Committee of Parliament on Official Language	
1. Shri Shrirang Appa Barne	Member
2. Smt. Sangeeta Yadav	Member
Nominated by Ministry of Parliamentary Affairs	
3. Shri Dineshbhai Makwana, M.P. (Lok Sabha)	Member
4. Shri Shankar Lalwani, M.P. (Lok Sabha)	Member
5. Shri Naveen Jain, M.P. (Rajya Sabha)	Member
6. Shri Iranna Kadadi, M.P. (Rajya Sabha)	Member
Nominated by voluntary organization i.e. Hindi Sahitya Sammelan Prayag	
7. Shri Kuntaka Mishra	Member
Nominated by Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad	
8. Shri Suresh Tiwari	Member
Nominated by Minister of Textiles	
9. Dr. Suresh Prashad Roy	Member

10.	Shri Dharmendra Tripathi	Member
11.	Dr. Pooja Khillan	Member
12.	Shri Vinay Kumar	Member
Nominated by Deptt.Of Official Language		
13.	Ms. Ujwala Badavanache	Member
14.	Dr. Nitin Dubey	Member
15.	Dr. Deep Kumar Mittal	Member
Official Members (Department of Official Language)		
16.	Secy., Deptt.of Official Language and Hindi Advisor to the Govt.of India.	Member
17.	Joint Secy., Deptt.of Official Language (Ministry of Textiles)	Member
18.	Secretary (Textiles)	Member
19.	Additional Secretary, Ministry of Textiles	Member
20.	AS&FA, Ministry of Textiles,	Member
21.	Development Commissioner (Handloom), New Delhi	Member
22.	Development Commissioner (Handicraft), New Delhi	Member
23.	Textile Commissioner, Mumbai	Member
24.	Jute Commissioner, Kolkata	Member
25.	Director General, National Institute of Fashion Technology, New Delhi.	Member
26.	Chairman-cum-Managing Director, Cotton Corporation of India, Mumbai	Member
27.	Member Secretary, Central Silk Board, Bangalore	Member
28.	Managing Director, Central Cottage Industries Corporation, New Delhi.	Member
29.	Chairman-cum-Managing Director, Jute Corporation of India Ltd., Kolkata.	Member
30.	Secretary, Textile Committee, Mumbai.	Member
31.	Managing Director, National Handloom Development Corporation, Greater Noida, U.P.	Member
32.	Secretary, National Jute Board, Kolkata	Member
33.	Director, Sardar Vallabhbhai Patel international School of Textile and Management, Coimbatore	Member
34.	Executive Director, Central Wool Development Board, Jodhpur	Member
35.	Chairman-cum-Managing Director, NTC, New Delhi	Member
36.	Chairman-cum-Managing Director, British India Corporation, Kanpur	Member
37.	Chairman-cum-Managing Director, Handicraft & Handloom Export Corporation, New Delhi.	Member
38.	Deputy Director General (In-charge Official Language), Ministry of Textiles	Member Secretary
(II)	Functions of the Committee	

The functions of the Samiti will be to render advice in regard to the implementation of the provisions relating to Official Language contained in the constitution, Official Language Act and Rules, and policy decisions of the Kendriya Hindi Samiti (Under Chairmanship of Hon'ble Prime Minister) and instructions issued by the Ministry of Home Affairs (Department of Official Language) relating to official language and also in regard to the progressive use of Hindi in the Ministry.

(III) TENURE

1. The tenure of the Samiti will be ordinarily for 3 years from the date of its constitution.
2. If a person is nominated as Member in the middle of the term, he will hold the office for the residual term of the Samiti.
3. In special circumstances, the tenure of the Samiti may be curtailed or enhanced by the Ministry.
4. Member of Parliament who are the members of Committee shall cease to be members as soon as they cease to be Member of Parliament.
5. Ex-officio member of the Samiti shall continue as member as long as they hold office by virtue of which they are member of the Samiti.

(IV) General

- (1) Headquarters of the Samiti will be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.
- (2) The Non-Official Members will be paid Travelling Allowance and Daily Allowance for attending meetings of the Samiti as per the guidelines contained in the Department of Official Language's O.M. No. II/22034/04/86-OL (A-2) dated 22nd January, 1987 as amended from time to time.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated, all members of the committee to all State Governments and Union Territory Administrations, President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, NITI Ayog, Comptroller and Auditor General of India, A.G.C.R and all Ministries and Departments of Government of India.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

AKHILESH KUMAR
Deputy Director General

MINISTRY OF EDUCATION
(DEPARTMENT OF SCHOOL EDUCATION AND LITERACY)

New Delhi, the 26th August 2025

No. 1-22/2024-PMP.6—In supersession of the notification No. F.II-3/2016-Sch.3, dated the 15th November, 2021, of the Ministry of Education, Department of School Education and Literacy, the Central Government hereby entrusts the National Council of Educational Research and Training (NCERT) with the responsibility of granting equivalence to Secondary (Class 10th) or Senior Secondary (Class 12th) certificates awarded by Secondary or Senior Secondary School Examination Boards in India, for the purpose of admission of students to higher education institutions and employment to the Central Government, State Governments and Union territories.

2. This notification shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
3. It shall apply to the Central Government or State Governments and private Indian School Boards established by—
 - (a) an Act of Parliament or State legislature; or
 - (b) an executive order of the Central Government or State Governments; or
 - (c) the Central Government or State Governments or statutory bodies or recognised institutions that have the mandate so to do.

4. The NCERT shall discharge its responsibility, through the National Assessment Centre, that is, the Performance Assessment, Review and Analysis of Knowledge for Holistic Development (PARAKH), which has been established as per paragraph 4.41 of the National Education Policy 2020, subject to the following conditions, namely:—

- (a) the NCERT while considering the equivalence determination process shall ensure that —
 - (i) compliance with the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (35 of 2009);
 - (ii) alignment with the National Curriculum Framework; and
 - (iii) adherence to the National Education Policy 2020, and the guidelines issued thereunder;
- (b) the NCERT shall prepare a standard operating procedure in consultation with the Department of School Education and Literacy, and Department of Higher Education, Ministry of Education.

5. (a) the NCERT will appropriately enhance its capacity to undertake this task.
- (b) A Standard Operating Procedure (SOP) shall be prepared by NCERT for this purpose for all school boards in India in consultation with Department of School Education and Literacy, and Department of Higher Education, Ministry of Education.
- (c) The SOP shall ensure *inter alia* that the applicant School Education Board is following the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009, the National Curriculum Framework (NCF) for the time being enforce and the National Educational Policy (NEP-2020)
- (d) The SOP shall ensure that the teachers in schools affiliated to the Board possess qualifications as laid down by the National Council for Teacher Education (NCTE).
- (e) The SOP shall also ensure that the due diligence process is rigorous and is based on the NCF, a clear-cut scheme or bye-laws of examinations and affiliation and follows all other laws, rules, regulations or processes applicable to School Boards while granting such equivalence.
- (f) As one time measure, the NCERT shall constitute an expert committee comprising representatives from the University Grant Commission (UGC), All India Council for Technical Education (AICTE), Central Board of Secondary Education (CBSE), National Institute of Open Schooling (NIOS) and other members as deemed fit by NCERT for drafting the SOP that shall be examined by the Department of School Education and Literacy, and Department of Higher Education, Ministry of Education prior to implementation.

6. Equivalence granted by the NCERT shall automatically be considered as inter-se parity between the Boards in India, facilitating smooth inter-School Education Board migrations and such equivalence shall be valid at all India level for the purpose of higher education and employment.

SHIB DAS SARKAR
Director

MINISTRY OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT

New Delhi-110001, the 28th August 2025

RESOLUTION

No. O.L. 11011/01/2015—In pursuance of the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, OM No. II/20015/45/87-O.L. (A-2) dated 04.05.1989 and it has been decided to reconstitute the Hindi Advisory Committee vide Resolution No. O.L. 11011/1/2015 of the Ministry of Women and Child Development dated 28.08.2025. The composition and functions of the reconstituted committee will be as under:—

I.	Minister of Women and Child Development	Chairperson
II.	Minister of State for Women and Child Development	Dy-Chairperson
III.	Non Official Members	
	Nominated by the Ministry of Parliamentary Affairs	
1.	Mrs. Kamlesh Jangde, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address 241, Masania Kala, Janjgir-Champa Sakti, Chhattisgarh 495689 Present Address 215, Western Court, Janpath New Delhi -01 Mob.-7489443269,9300671594	Member
2.	Mrs. Manju Sharma, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address 107, Unique Sanghi Apartment, Mahavir Nagar Durgapura Jaipur Rajasthan - 302018 Present Address 101-103, South Avenue, New Delhi 110001 Mob.- 9499100326, 9829394789	Member

3.	Mr. Ram Chandra Jangra Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address: Ward No. 6, Kath Mandi, Meham, District - Rohtak, Haryana – Present Address C-504, Swarna Jayanti Sadan, Dr. Bhishambar Das Marg, New Delhi 110001 Tel.-011-23310359 Mob.- 9416088404, 9416274478	Member
4.	Ms. Indu Bala Goswami, Member of Parliament (Rajya Sabha) Permanent Address Village- Gankhetar, Post Office & Tehsil- Baijnath, District- Kangra (Himachal Pradesh) 176125 Present Address Central Government Residential Complex, Type VII, MP Flats, Flat No. A4, Tower No. A2, Deen Dayal Upadhyay Marg, New Delhi 110002 Tel. No. 011-23312832 Mobile. 9816320602, 7807830602	Member
IV.	(Two MPs nominated by Committee of Parliament on Official Language)	
5.	Mrs. Kriti Devi Debbarman, Member of Parliament (Lok Sabha) Palace Kawardha (Moti Mahal), Ward No. – 9, Kawardha Kabirdham, Chhattisgarh – 491995 Present Address 06 Firozeshah Road, New Delhi-110001 Mob.- 9863905346,9589535855 Email – maharanikritisingshdebbarma@gmail.com Kriti.singh.debbarama@sansad.nic.in	Member
6.	Shri Vishweshwar Hegde Kageri, Member of Parliament (Lok Sabha) Permanent Address : Kageri PO, Barul Tick, Sirsi Uttara Kannada, Karnataka – 581403 Present Address : Flat No. 401, Saraswati, Dr. B. D. Marg, New Delhi-110001 Email – kageri250@gmail.com Vishweshwar.kageri@sansad.nic.in	Member
V.	Members nominated by the Department of Official Language	
7.	Prof. Rakhi Upadhyay 5/2, Hill View Enclave, Kishanpur Canal Road, Rajpur, Dehradun-248001, Uttarakhand. Mobile – 9412409418 E-mail: drakhi.418@gmail.com	Member
8.	Dr. Ramesh Singh 9/10, Bund Road, Allenganj, Prayagraj-211002, Mob.- 9415367401 Email: rs755354@gmail.com	Member
9.	Mr. B. Kandavel Vijaya Home, 5/2, 4th Cross Street, New Colony, Chrompet, Chennai-44. Mob. – 9940488488 kandavelb@gmail.com	Member

VI.	Nominated by the Ministry of Women and Child Development	
10.	Mr. Maheshbhai Bhelubhai Mahala Lakadbari, Tehsil Basda Navsari District, Pin Code – 396071 Mob. No.- 9408620256	Member
11.	Mrs. Madhuri Deshpande Address: 732, 9th Cross, Vidyamanyanagar, Andrahalli, Vishwaneedam Post, Bangalore-560091 Mob. No.- 8277042765, 9481070245 Email: Deshpande.madhuri@gmail.com	Member
12.	Mr. Dhiren Sarma Address: Bhetapara, H.No. 57[Hatigaon- Bhetapara Road, Guwahati – 28 P.). Beltala, Pincod- 781028, Assam Mob. No.- 9435301654 E-mail: dhirensarma57@gmail.com	Member
13.	Mr. Ajay Sharma 30-A, Madhuban Colony, Rajnagar, Jalandhar-144021 Mob. No.- 0904413-34567 Email: Sahityasilsila@gmail.com Drsharmaajay1@gmail.com	Member
VII.	Representatives of the Voluntary Organizations	
	Representatives of Kendriya Sachivalya Hindi Parishad	
14.	Dr. Sweety Yadav Residential Address: Flat No. E-9, Tower – 14, Type-3, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023 Office Address: Dr. Sweety Yadav Assistant Director (Official Language) Sub Regional Office Employees State Insurance Corporation Gurugram, (Ministry of Labor and Employment) Mob. No. - 7838327845/9868023185 E-mail: sweetyyadavjnu@gmail.com	Member
	Representative of Rashtra Bhasha Prachar Committee, Wardha (Maharashtra)	
15.	Dr. Ratna Devchand Choudhary 28, Sai, Gokuldham, Near Navbharat Teachers College, Ramnagar, Wardha (Maharashtra) 442001 Mob. No. - 9096193665 Email – ratnanagare72@gmail.com	Member
VIII.	Official Members from Ministry (EX-Officio)	
16.	Secretary, Ministry of Women and Child Development	Member
17.	Secretary, Deptt. of Official Language	Member
18.	Additional Secretary and Financial Advisor, MWCD	Member
19.	Joint Secretary, Deptt. of Official Language	Member
20.	Joint Secretary, (WW), MWCD	Member
21.	Joint Secretary, (ICDS), MWCD	Member

22.	Joint Secretary, (CW), MWCD	Member
23.	Joint Secretary, MWCD	Member
24.	Chairperson, NCW	Member
25.	Chairperson, NCPCR	Member
26.	Chairperson, CSWB	Member
27.	Director, Savitribai Phule National Institute Women & Child Development	Member
28.	CEO, CARA	Member
29.	Additional Secretary and In-charge OL, MWCD	Member Secretary

Functions of the Committee

The Functions of the Committee will be to advise the Ministry of Women and Child Development on the effective implementation of Official Language policy of the Government of India and other matters connected therewith.

Tenure of the Committee

The tenure of the members of the Committee shall be three years from the dated of issues of resolution, provided that:—

- A member who is a Member of Parliament ceases to be Member of the Committee as soon as she/he ceases to be a Member of Parliament.
- Ex-Officio Members to the Committee shall continue as Members as long as they hold the office by virtue of which they are Members of the Committee.
- If a vacancy arises on the Committee due to resignation or death of a Member, the Member appointed in that capacity shall hold the office for the residual term.

General

Headquarters of the Committee will be in New Delhi but Committee may hold its meeting in any place other than Delhi, if necessary.

TA and other Allowances

The non-official members will be paid TA/DA for attending the meeting of the Committee as per guidelines and at the rates revised/prescribed by Government of India from time to time vide Department of OL OM No. II/20034/04/2006-OL (Policy-2) dated 03.02.2006.

ORDER

It is Ordered that copy of this Resolution may be forwarded to all Members; President's Secretariat; Vice President's Secretariat; Prime-Minister's Office; Cabinet Secretariat; Ministry of Parliament Affairs; Lok Sabha Secretariat; Rajya Sabha Secretariat; Niti Ayog; Comptroller and Auditor General of India; Election Commission of India; UPSC; All Autonomous/Statutory Bodies under M/o WCD and All Ministries & Departments of the Govt. of India.

GYANESH BHARTI
Additional Secretary & I/C, Official Language

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT & HIGHWAYS

New Delhi-110001, the 26th August 2025

RESOLUTION

No. E. 11013/04/2019-Hindi—In Supersession of the Ministry of Road Transport & Highways' Resolution No E.-11013/04/2019-Hindi, dated 03.12.2021, the Government of India, Ministry of Road Transport & Highways has decided to reconstitute the Hindi Salahakar Samiti in the following manner:—

I. Composition

- | | |
|---|---------------|
| 1. Minister of Road Transport & Highways | Chairman |
| 2. State Minister for Road Transport & Highways | Vice-Chairman |

II. Official Members

(A) Ministry of Road Transport & Highways

- | | |
|--|------------------|
| 3. Secretary | Member |
| 4. Additional Secretary and Financial Advisor | Member |
| 5. Director General (Road Development) and Special Secretary | Member |
| 6. Additional Secretary (Highways) | Member-Secretary |
| 7. Deputy Secretary (Admn. & O.L.) | Member |
| 8. Deputy Director (O.L.) | Member |

(B) Department of Official Language

- | | |
|---------------------|--------|
| 9. Secretary | Member |
| 10. Joint Secretary | Member |

(C) Representatives of the offices under the Ministry of Road Transport & Highways

- | | |
|--|--------|
| 11. Chairman, National Highway Authority of India, Dwarka, New Delhi | Member |
| 12. Director, Indian Academy of Highway Engineers, Noida | Member |
| 13. General Secretary, Indian Road Congress, New Delhi | Member |
| 14. Managing Director, National Highway Infrastructure Development Corporation Ltd., New Delhi | Member |

III. Non-Official Members

(A) Members of Parliament nominated by M/o Parliamentary Affairs

- | | |
|---|--------|
| 15. Sh. Satish Kumar Gautam, M.P. (Lok Sabha)
Permanent Address- 204, Vaishno Tower, Vidhya Nagar,
Ram Ghat Road, Aligarh, Uttar Pradesh – 202001
Tel. - (0571) 2742425
Mobile – 09457762404, 09013869418
Email – satish.gautam@sansad.nic.in
satishgautambjp@gmail.com

Present Address - 4, Windsor Place, Ashoka Road, New Delhi - 110001
Tel.- (011) 23355404
Mobile – 9013869418, 9457762404, 9720048200 | Member |
| 16. Sh. Arvind Ganpat Sawant, M.P. (Lok Sabha)
Permanent Address –3/87, Mithibai Building, Acharya Donde Marg,
Sewree, Mumbai, Maharashtra-400015
Tel: (022) 24184488, Mob: 09869004488
Email – arvind.sawant@sansad.nic.in
arvindsawantg@gmail.com

Present Address– 15, Pandit Pant Marg,
Near Gurudwara Rakab Ganj,
New Delhi-110001
Tel: (011) 23714488, Mob: 09969004488 | Member |
| 17. Sh. Rajendra Gehlot, M.P. (Rajya Sabha)
Permanent Address –64-B, Ajeet Colony, Ratanada,
Jodhpur, Rajasthan-342001
E Mail – rajendra.gehlot@sansad.nic.in

Present Address – 9, North Avenue Duplex,
New Delhi-110001
Tel- (011) 23094211 | Member |

- | | | |
|--|--|--------|
| 18. | Sh. Khiru Mahto, M.P. (Rajya Sabha)
Permanent Address – Vill- Kedla, P.S. – Mandu,
District Ramgharh, Jharkhand – 825325
Email – khiru.mahto@sansad.nic.in

Present Address – Flat No. A5, Tower – A2,
DDU Marg, New Delhi 110002
Tel- (011) 23231205, 23231206 | Member |
| (B) Representatives of the Committee of Parliament on Official Language | | |
| 19. | Sh. Ajit Madhawrao Gopchade, M.P. (Rajya Sabha)
Permanent Address- Amritapath Hospital, Doctor Lane,
Near Railway Station, Nanded 431601
Mobile – 07798484618
E-mail – dr.agopchade@sansad.nic.in

Present address- Brahmaputra, Flat No. 201, Visambar Das Marg,
Parliament Complex, New Delhi-110001 | Member |
| 20. | Smt. Mala Rajya Laxmi, M.P. (Lok Sabha)
Permanent Address – Raj Mahal, Post Office - Narendra Nagar,
Tehri, Garhwal Uttarakhand – 249175
Tel- (0135) 2747700 Mobile - 09811670271

Present Address – Tehri, Garhwal House, 5, Bhagwan Das Road,
New Delhi -110001
Tel- (011) 23782818, 23782816, Mobile – 09811670271
Email mala.laxmi@sansad.nic.in
malarajyalaxmishah@gmail.com | Member |
| (C) Representatives of Kendirya Sachivalya Hindi Parishad, New Delhi/voluntary organization etc. of All India Level. | | |
| 21. | Sh. Anurag Khare,
Residential Address: B-4/3 S.S. Flats, Sector-13,
Ram Krishna Puram, New Delhi-110066.
Mobile – 9013069977
Email hindiparishad116@gmail.com | Member |
| 22. | Sh. Kavadu (Bandu) Kisanji Rakshak
Rajbhasha Prachar Samiti, Wardha,
46, Anandnagar Shikshan Society,
Jayatala Road, Nagpur-440036
Mobile – 9657876720
Email rashtabhasha.wardha@gmail.com | Member |
| (D) Members nominated by Minister of Road Transport and Highways | | |
| 23. | Shri Rajeshwar Singh,
Residential Address - T-2, Sita Sankul Apartment,
Akar Nagar, Katol Road, Nagpur (Maharashtra)-440013
Mobile- 09373125405
Email rajeshwar.singh1234567@gmail.com | Member |
| 24. | Shri Sanjay Ramakant Tiwari,
Residential Address – Vdara, Shri Dadaji Dhuniwale Ashram,
Pension Nagar, Police Line Takli Mage, Nagpur
(Maharashtra) - 440013
Mob.-09860060469, 09112281100 | Member |
| 25. | Dr. Rajendra Vasudev Mishra (Dr. Raju Mishra),
Residential Address – 28 A, New Urvela Colony,
Post Office – Vivekanand Nagar, Nagpur – 440015
Mobile – 09373215279
E-mail – rwmishra@gmail.com | Member |

- | | | |
|--|--|--------|
| 26. | Shri Dayashankar Chandrashekhar Tiwari,
Residential Address – 1038, Dr. Shama Prasad Mukherjee Marg,
Hansapuri, Nagpur, Maharashtra
Mobile- 09823293001 | Member |
| (E) Members nominated by Department of Official Language | | |
| 27. | Dr. Umesh Pratap Vats,
Building No. 14, Shivdayal Puri,
Near ITI, Yamunanagar, Haryana-135001
E-Mail – madhurishri2727@gmail.com | Member |
| 28. | Dr. Madhuri Yadav, C-12, Radio Colony,
Residency Area, Indore (M.P.)-452001
Mobile- 9926431404 | Member |
| 29. | Sri T.K. Balaji, 75, Periyar Nagar,
Post- Tiruvanaikoil, Tiruchirappalli-620005
Mob.- 9244222370
E-Mail – tkbalarss@gmail.com | Member |

2. Functions of the Committee

The functions of the committee will be to review the implementation of the Official Language Policy as envisaged in the Constitution of India, official language Act & the rules made there under, decisions of the Kendriya Hindi Samiti and the instructions issued by the department of Official language and also to render to increasing the use of Hindi in the working of the Ministry of Road Transport and Highways and its Subordinate offices.

3. Tenure of the Committee

The tenure of the Samiti will be three years from the date of its constitution. The Members of the Parliament, who are members of the Committee, shall cease to be members of the Committee on the dissolution of the House or on expiry of their term or otherwise ceasing to be member of the House. If a vacancy arises in the Committee, the member nominated against that vacancy shall hold office for the remaining period. Under special circumstances, the tenure of the Committee may be curtailed or extended.

4. Travelling and other allowances

The non-official members attending the meetings of the Committee would be paid TA and DA as per the guidelines contained in the Deptt. Of Official Language OM no. II/20034/4/86-OL(A2) dated January 22, 1987 and as per as amended the prescribed rates and rules as mentioned from time to time by the Govt. of India.

5. The Headquarters of the Committee shall be in New Delhi. The meetings of this Committee will generally be conducted in New Delhi.

ORDER

Ordered that a copy of this Resolution be communicated to all the State Governments and Union Territory Administrations, all the Ministries and Department of India, President Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliament Affairs, Niti Aayog, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Election Commission of India, Parliamentary Committee on Official Language, Union Public Service Commission and Comptroller and Auditor General of India.

Ordered also that this Resolution be published in the Gazette of India for general information.

VINAY KUMAR
Additional Secretary